न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/2456/2002/डुंगरपुर

1. मावजी पुत्र हुरमा
2. नानका पुत्र हुरमा
   समस्त जाति मीणा निवासी फतहपुरा तहसील व जिला डूंगरपुर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान आवासन मण्डल, ज्योति नगर, जयपुर जरिये परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) हाऊसिंग बोर्ड, डूंगरपुर
2. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल वृत कार्यालय पारस टाकिज के पास, उदयपुर
3. परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) आवासन मण्डल हाऊसिंग बोर्ड, डूंगरपुर

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री इन्द्र सिंह राव, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री एस.के. शर्मा, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 14.09.2018

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, डुंगरपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–03–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188, 88 एवं 92 के तहत प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम फतहपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 709, 711 व 714 अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि है, जो अवासन मण्डल डूंगरपुर के लिए अवाप्त की गयी एवं उसकी क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का अवार्ड दिनांक 30-07-1990 को जारी किया गया था लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा अब तक उक्त आराजी के अवार्ड राशि का भुतान नहीं किया और प्रारम्भ से आज तक उक्त आराजियात अपीलार्थीगण के कब्जे में चली आ रही है। अतः जब तक मुआवजा राशि नहीं मिल जाती प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। साथ ही ग्राम फतहपुरा स्थित बिला नाम भूमि खसरा नम्बर 710 रमें 01बीघा पर वादीगण का पुराना कब्जा काश्त होने से उक्त आराजी से वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार किया। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित 04 विवाघक विरचित किये। तत्पश्चात उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 28-04-2001 से वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध वादीगण अपीलार्थीगण की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, डूंगरपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14-03-2002 से खारिज कर दी। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्तागण ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस कानूनी बिन्दू पर कतई ध्यान नहीं दिया कि तथाकथित अवार्ड दिनांक 30–7–1990 को जारी होना प्रतिवादी ने बताया जबकि वर्षो बाद भी अवाप्त भूमि का मुआवजा वादीगण अपीलार्थीगण को अदा नहीं किया और ना ही विवादित आराजी का नियमानुसार कब्जा प्राप्त किया। ऐसी स्थिति में इतने लम्बे अरसे बाद उक्त अवार्ड की कोई कानूनी मंशा नहीं रह जाती है। ऐसी स्थिति में वादीगण के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित था। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 710 बाबत् कोई आदेश पारित नहीं किया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उनका कथन है कि विवादित आराजी वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होने से विवादित आराजी बाबत् प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

5. इसके विपरीत योग्य अधिवक्तागण प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी के वादीगण अपीलार्थीगण खातेदार काश्तकार थे, जिनकी भूमि नियमानुसार अवाप्त की जाकर अवार्ड जारी किया गया तथा मुआवजा राशि के भुगतान हेतु चेक भी जारी किया गया

किन्तु वादीगण द्वारा जानबुझकर कर अवार्ड राशि को प्राप्त नहीं किया। उनका कथन है कि अवाप्ति भूमि विवादित आराजी पर आवासन मण्डल काबिज है तथा राजस्व रिकार्ड में सहवन से वादीगण का नाम दर्ज रह जाने से वादीगण आवासन मण्डल के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते। उनका कथन है कि विवादित आराजी के नियमानुसार अवाप्त हो जाने के उपरान्त वादीगण अपीलार्थीगण अवाप्ति कार्यवाही एवं मुआवजा राशि बाबत् आक्षेप राजस्व न्यायालय में नहीं उठा सकते है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तात्विक अनियमितता नहीं होने से पारित निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188, 88 एवं 92 के तहत प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम फतहपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 709, 711 व 714 अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि है, जो अवासन मण्डल डूंगरपुर के लिए अवाप्त की गयी एवं उसकी क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का अवार्ड दिनांक 30-07-1990 को जारी किया गया था लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा अब तक उक्त आराजी के अवार्ड राशि का भुतान नहीं किया और प्रारम्भ से आज तक उक्त आराजियात अपीलार्थीगण के कब्जे में चली आ रही है। अतः जब तक मुआवजा राशि नहीं मिल जाती प्रतिवादीगण के

विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का अनुतोष चाहा। साथ ही ग्राम फतहपुरा स्थित बिला नाम भूमि खसरा नम्बर 710 रमें 01बीघा पर वादीगण का पुराना कब्जा काश्त होने से उक्त आराजी से वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा।

8. प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दू यह है कि क्या वादीगण विवादित आराजी की अवाप्ति की कार्यवाही हो जाने एवं अवार्ड जारी होने के उपरान्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त कर सकते है अथवा नहीं? प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण स्वयं द्वारा विवादित आराजी की अवाप्ति की कार्यवाही को स्वीकार करते है तथा मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त होने तक प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाह रहे है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध प्रदर्श-ए-1 दिनांक 7-2-1992 जो कार्यालय आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल उदयपुर का तहसीलदार डूगरपुर को प्रेषित पत्र है, इसमें अवाप्त की गयी भूमि के खातेदारान को अवाप्ति की राशि जरिये चेक स्टेट बेंक आफ इण्डिया जारी किया गया अंकित है। इस पत्र के क्रम संख्या-1 में मावजी नानगा पिता हुरमा का वाद सं 6/88/1 चक नम्बर 642269 दिनांक 27-1-1992 राशि 71,117/-रूपये दर्शाया है। उक्त से स्पष्ट है विवादित आराजी के अवाप्ति उपरान्त मुआवजा राशि का चेंक वादीगण के नाम जारी किया है। जहां तक विवादित आराजी पर वादीगण के काबिज काश्त होने का प्रश्न है विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध कब्जा सुपुदर्गी दिनांक 1-12-1987 को कब्जा नगरपालिगा डूंगरपुर द्वारा भूमि का कब्जा आवासन मण्डल को सुपुर्द करना अंकित किया है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में निहित वादीगण अपीलार्थीगण की विवादित आराजी नियमानुसार अवाप्त की जाकर अवार्ड जारी किया गया एवं मुआवजा राशि का चेक भी जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में वादीगण विवादित आराजी बाबत्

प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते। जहां तक अवाप्ति कार्यवाही एवं मुआवजा राशि बाबत् उठाये गये आक्षेपों का प्रश्न है वादीगण सक्षम न्यायालय में अवाप्ति कार्यवाही एवं मुआवजा राशि बाबत् आक्षेप उठा सकते है। राजस्व न्यायालयों का अवाप्ति कार्यवाही एवं मुआवजा राशि बाबत् प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार निहित नहीं है।

9. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा इस आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

10. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(इन्द्र सिंह राव)
सदस्य